न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2800–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 189/2015–16/अपील.

1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री निवास
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 अशोक कुमार
   निवासीगण ग्राम रमा, तहसील अटेर,
   जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामदत्त
2. हरविलाश पुत्रगण सुन्दरलाल
3. रामशरण पुत्रगण मनीराम
   निवासीगण ग्राम रमा तहसील अटेर
   जिला भिण्ड म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/06/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के पारित आदेश दिनांक 28–7–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष मान0 उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक 204/1973 में पारित आदेश दिनांक 10–12–1985 के आदेश के अनुसार मौजा रमा के आ0कं0 1098 एवं 1060 के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्र0कं0

15/2012–13/अ–6 में दिनांक 14–8–2015 को नामांतरण के आदेश दिये। तहसीलदार बटांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 18/2014–15/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 03–3–16 के द्वारा अपील अमान्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 190/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–16 से अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि विचारण न्यायालय में आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश उचित नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष उठाये गये आधारों का गुण–दोषों पर निराकरण न करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि भू–राजस्व संहिता की संशोधित धारा 49 के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है, अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः कार्यवाही हेतु तहसील को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय ने नामांतरण आदेश पारित किया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा है। यह भी तर्क किया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 05–6–2015 को प्रकरण साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथा पेशी दिनांक 10–6–15 नियत की गई। पेशी दिनांक 10–6–15 को अपर आयुक्त मीटिंग में व्यस्थ होने से प्रकरण यथावत बढाया गया और पेशी दिनांक 24–6–15 को नियत किया गया। आगामी पेश दिनांक 24–6–15 को साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाकर पेशी दिनांक 15–7–15 नियत की गई है। पेशी दिनांक 10–6–15 एंव 24–6–15 को दोनों पक्षों की ओर से किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तत्पश्चात पेशी दिनांक 15–7–2015 को फर्द तैयार करने के आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न फर्द दिनांक 14–8–2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है और न ही दिनांक 31–7–2015 को प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखने के पूर्व किसी पक्ष को सुना गया है। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–8–15 को फर्द बटवारा की पुष्टि की गई है। तहसीलदार द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक 204/1973 में पारित आदेश दिनांक 10–12–1985 का विधिवत पालन नहीं किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन आराजीयों पर समान भाग एवं समान भूमि के स्वरूप के संबंध में फर्द तैयार नहीं की गई है और न ही उक्त फर्द पर किसी पक्ष के हस्ताक्षर ही कराये हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा उक्त फर्द की पुष्टि कर बटवारा आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा वैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय की अनदेखी कर मानमाने आधारों पर निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विपरीत एवं मान0 उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर निकाले गये निष्कर्ष स्थिर रखने जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त चम्बल का आदेश दिनांक 28–7–2016, अनुविभागीय अधिकारी अटेर का

आदेश दिनांक 03—3—2016 एवं तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा का आदेश दिनांक 14—8—2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सुरपुरा को मान0 उच्च न्यायालय एवं संहिता की धारा 178 के प्रावधानानुसार सभी पक्षों को सुनवाई कर विधिअनुसार निर्णय लेने के प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर